संख्या-58/2015/2233 ई-2/तेरह-2015-50/2011

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक: 19 नवम्बर,2015**

विषयः- क्रिस्टल रेस्टोरेन्ट स्थित बस्ती आराम सिंह, प्रभातनगर, पीलीभीत रोड, बरेली में बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के पत्र संख्या-1655/आबकारी/बार अनुज्ञापन, दिनांक 03-09-2014 तथा पत्र संख्या-1767/आबकारी, दिनांक 01-10-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 03 सितम्बर,2014 एवं 01 अक्टूबर,2015 के साथ प्राप्त अभिलेख एवं जिला बार समिति की बैठक दिनांक 03-9-2014 में जिला बार समिति द्वारा की गई संस्तुति तथा इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-36/दस-लाइसेंस-7/खण्ड-5/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/बरेली, दिनांक 15-6-2015 तथा पत्र संख्या-जी-03/दस-लाइसेंस-7/खण्ड-5/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/बरेली, दिनांक 06-4-2015 में की गई संस्तुति व अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री भूपेन्द्र कुमार तलवार के नाम क्रिस्टल रेस्टोरेन्ट स्थित बस्ती आराम सिंह, प्रभातनगर, पीलीभीत रोड, बरेली में वर्ष 2015-16 के लिये एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत, सृजित/व्यवस्थित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि तीन वर्ष बाद बार अनुज्ञापन के नवीनीकरण के पूर्व पार्किंग के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था से आश्वस्त होने के उपरान्त ही इस अनुज्ञापन का नवीनीकरण किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या-58/2015/2233(1) ई-2/तेरह-2015, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 15-6-2015 तथा दिनांक 06-4-2015 के क्रममें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in